छत्तीसगढ़ शासन
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर 492002
—:: आदेश ::—

नया रायपुर, दिनांक 06/08/2018

क्र./5858/एफ-13/3/NBM/2015–16 :: राज्य शासन एतद् द्वारा भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा **Restructured National Bamboo Mission (RNBM)** हेतु जारी मार्गदर्शी निर्देश की कण्डिका क्रमांक 6 के बिन्दु क्र. (II) के अनुसार निम्नानुसार राज्य स्तरीय बांस विकास एजेंसी का गठन करता है:–

1	**सचिव, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग सह मिशन संचालक (RNBM)**	**अध्यक्ष**
2	**मुख्य वन संरक्षक (मुख्यमंत्री बांस विकास योजना) सह संयुक्त मिशन संचालक (RNBM)**	**उपाध्यक्ष**
3	**संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग**	**सदस्य**
4	**संचालक, उद्योग विभाग**	**सदस्य**
5	**संचालक, ग्रामोद्योग**	**सदस्य**
6	**संचालक, कृषि**	**सदस्य**
7	**मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग**	**सदस्य**
8	**विभागाध्यक्ष, कृषि वनिकी विभाग, कृषि महाविद्यालय, इं.गां.कृ.वि.वि, रायपुर**	**सदस्य**
9	**संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी**	**सदस्य सचिव**

राज्य स्तरीय बांस विकास एजेंसी के दायित्व निम्नानुसार होगें :–

i) आधारभूत सर्वेक्षण आयोजित करना तथा खास क्षेत्रों/बस्तियों (जिला, उपजिला अथवा कई जिलें) का इस नजरिये से व्यवहारिक अध्ययन करना कि वहाँ बांस उत्पादन का स्तर क्या है, उत्पादन क्षमता और मांग कितनी है और उस अनुरूप किस तरह की सहायता की आवश्यकता है। क्लस्टर आधारित बाजार को विकसित करना जिससे किसानों एवं उनके उत्पादक संघो को बाजार से जोड़ा जा सके।

ii) प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों एवं उद्योगों की आवश्यकता अनुरुप बांस आर्थिक क्षेत्र (Bamboo Economic Zone) की स्थापना संबंधी कार्य करना।

iii) बांस मिशन के लक्ष्यों, उद्धेश्यो के परिपेक्ष्य ताल–मेल रखते हुए बांस तकनीकी सहयोग समूह के साथ निकटतम समन्वय स्थापित कर राज्य की वार्षिक कार्य योजना तैयार कर इसके क्रियान्वयन की समीक्षा करना।

iv) मिशन के क्रियाकलापों के लिए राज्य सरकार और अन्य स्त्रोतो से धनराशि प्राप्त करना, खातों को दुरूस्त रखना और संबंधित एजेंसियों के समक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र रखना।

v) मिशन की समय समय पर प्रगति की जानकारी राष्ट्रीय बांस मिशन, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग को प्रेषित करने हेतु राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

vi) कार्यक्रम लागू करने वाली संस्थाओं को राशि जारी करना तथा कार्यक्रमों का निरीक्षण, निगरानी और क्रियान्वयन की समीक्षा करना।

क्रमशः.....

vii) राज्य में किसानों, समुदायों, उत्पादक संगठनों, स्वयं सेवी समूहो, राजकीय संस्थाओं और अन्य स्वतंत्र इकाईयो के माध्यम से कार्यक्रम संबंधी क्रियाकलापों का निरीक्षण करना और मदद करना।

viii) राज्य स्तर पर सभी आकांक्षी समूहों/संगठनों के लिए कार्यशालाएं, संगोष्ठी और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.सी.पैकरा) 6/8/18
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ शासन
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पृ.क्र/5859/एफ-13/3/NBM/2015—16 नया रायपुर दिनांक 6/08/2018

प्रतिलिपिः—

1. मान. मुख्यमंत्रीजी के सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, छ.ग., रायपुर।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्रीजी, कृषि पशुपालन, मछली पालन, जल संसाधन, आयाकट, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, छ.ग. शासन।
3. सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली।
4. उप सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव, छ.ग. शासन।
5. स्टॉफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, छ.ग. शासन।
6. स्टॉफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, वन विभाग।
7. सचिव, छ.ग. शासन, वाणिज्य एंव उद्योग विभाग।
8. सचिव, छ.ग. शासन, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग।
9. सचिव, छ.ग. शासन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग।
10. सचिव, छ.ग. शासन, ग्रामोद्योग विभाग।
11. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नार्थ ब्लॉक, अरण्य भवन, सेक्टर– 19, नया रायपुर।
12. आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
13. निदेशक, स्टेट फारेस्ट रिसर्च एंण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (SFRTI), जीरो प्वांईट, विधान सभा के पास, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
14. संचालक, कृषि, छ.ग., रायपुर।
15. संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
16. मुख्य वन संरक्षक (मुख्यमंत्री बांस विकास योजना), अरण्य भवन, नया रायपुर।
17. विभागाध्यक्ष, कृषि वानिकी विभाग, कृषि महाविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, छ.ग.,रायपुर।

6/8/18
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ शासन
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग